रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 1993/पौष 15, 1914
No. 14] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 1993/PAUSA 15, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1993

आय-कर

का.आ. 18 (अ) :— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 ठ की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए "म.टे.नि.लि. 7 वर्षीय 17 प्रतिशत (कराधेय) प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय टेलिफोन बंधपत्र 1992 (छठी शृंखला) " को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

परन्तु उक्त खंड के अधीन फायदा, पृष्ठांकन या परिदान द्वारा, ऐसे बंधपत्रों के अंतरण की दशा में केवल तभी अनुज्ञेय होगा जब अन्तरिती उक्त निगम को ऐसे अन्तरण के साठ दिन की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित करता है ।

यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1992-93 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगी ।

[सं. 9165/फा. स 328ए/11/92-डब्ल्यू. टी.]

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1993

INCOME-TAX

S.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies "MTNL 7 years—17 per cent (Taxable) Secured Redeemable Non-Convertible Telephone Bonds-1992 (6th Series)", issued by the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the purpose of the said clause.

Provided that the benefit under the said clause shall be admissible in the case of transfer of such bonds by endorsement or delivery, only if the transferee informs the said Nigam by registered post within a period of sixty days of such transfer.

This notification will apply for the assessment year 1992-93 and subsequent assessment years.

[No. 9165/F. No. 328A/11/92-WT]

S K. GUPTA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1993

धन-कर

का.आ. 19 (अ) :— केंद्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1952 का 27) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (16 ङ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए "म.टे.नि.लि.-7 वर्षीय 17 प्रतिशत (कराधेय) प्रतिभूत मोचनीय असंपरिवर्तनीय टेलिफोन बंधपत्र 1992 (छठी शृंखला)" को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1992-93 को लागू होगी ।

[सं. 9165/फा.सं. 328ए/11/92-डब्ल्यू.टी.]

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1993

WEALTH-TAX

S.O. 19(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xvie) of sub-section (1) of section 5 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby specifies "MTNL 7 years—17 per cent (Taxable) Secured Redeemable Non-Convertible Telephone Bonds-1992 (6th Series)", issued by the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the purpose of the said clause.

This notification will apply for the assessment year 1992-93.

[No. 9165/F. No. 328A|11|92-WT]

S. K. GUPTA, [illegible] Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993